[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं0 78/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख...29 नवंबर, 2018

सा0का0नि0.....(अ).-- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 57/2000-सीमाशुल्क, तारीख 8 मई, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यह और कि जहां निर्यातकर्ता ने, निर्यात किए गए उत्पाद के संबंध में,--

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन इनपुट पर केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय ; या

(ii) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अध्याय 5 के अधीन इनपुटों या सेवाओं या दोनों पर इनपुट कर प्रत्यय ; या

(iii) केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय या एकीकृत कर के प्रतिदाय,

का उपभोग किया है, वहां निर्यातकर्ता को सोना या चांदी की पुन: पूर्ति उपलब्ध नहीं होगी ।''

(फा0सं0 डीजीईपी/जीएंडजे/05/2017)

(दिनेश कुमार गुप्ता)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक 57/2000-सीमाशुल्क, तारीख 8 मई, 2000, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 413(अ), तारीख 8 मई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 727(अ), तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 26/2017-सीमाशुल्क, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।